दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 21 नवंबर, 2013
निर्णय की तिथि : 25 नवंबर, 2013

<u>आप.अ. सं. 389/2003 और आर.वि.अ. सं. 1592/2003 एवं 7482/2004</u>

नरेश कुमार आदि .... अपीलार्थीगण

द्वारा : श्री चिराग मदान, अधिवक्ता सह श्री सुदीप यादव, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री एम.एन. डुडेजा, अति.लो.अभि.

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी. गर्ग

<u>न्या. एस.पी. गर्ग</u>

1. नरेश कुमार (अ-1) (अब मृतक) प्रतिनिधि श्रीमती कांता द्वारा, धर्म सिंह (अ-2), ओम प्रकाश (अ-3), अशोक और त्रिपत, जिन्हें प्राथमिकी सं. 122/96 के अधीन भा.दं.सं. की धारा 308/34 के अंतर्गत पुलिस थाना जे.पी. कलां में

गिरफ्तार किया गया था और इन आरोपों पर विचारण के लिए भेजा गया था कि 05.12.1996 को दोपहर लगभग 12.10 बजे सामान्य इरादे से, उन्होंने बलवान सिंह और विजय सिंह को चोटें पहुँचाईं। दिनांक 01-04-1999 के आदेश के माध्यम से उन पर भा.दं.सं. की धारा 308/325/34 के अंतर्गत आरोप लगाए गए थे। अभियोजन पक्ष ने उन्हें दोष सिद्ध करने के लिए बारह साक्षियों का परीक्षण किया। अपने 313 बयानों में, उन्होंने झूठे आरोप लगाए और बचाव में ब.सा.-1 (सुरेश कुमार) का परीक्षण किया। साक्ष्यों की विवेचना करने और पक्षकारगण के परस्पर विरोधी प्रतिविरोधों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने सत्र मामला सं. 166/02 में दिनांक 09.05.2003 के आक्षेपित निर्णय द्वारा उन्हें भा.दं.सं. की धारा 325 (अ-1) और भा.दं.सं. की धारा 323 (अ-2 और अ-3) के अंतर्गत दोषी अभिनिर्धारित किया। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अशोक और त्रिपत को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था और राज्य ने उनके दोषमुक्त होने को चुनौती नहीं दी थी। दिनांक 26.05.2003 के आदेश द्वारा अ-1 से अ-3 को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया तथा उन्हें पीड़ितों को कुल 20,000/- रूपये का प्रतिकर

प्रदान करने का निर्देश दिया गया। इससे व्यथित होकर अ-1 से अ-3 ने अपील दायर की है। यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि अ-1 की मृत्यु अपील के लंबित रहने के दौरान हो गई थी और उसकी विधिक उत्तराधिकारी - श्रीमती कांता को दिनांक 05.04.2005 के आदेश द्वारा अपील जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

2. तर्क-वितर्क के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निर्देशानुसार न्यायालय में कहा कि अपीलार्थीगण ने दोषसिद्धि के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को चुनौती न देने का विकल्प चुना है। उन्होंने अ-1 के नियोक्ता को अ-1 की पेंशन जारी करने का निर्देश देने की प्रार्थना की और *'राजबीर बनाम हरियाणा राज्य',* एआईआर 1985 एससी 1278 पर भरोसा किया।

3. चूँकि अपीलार्थीगण ने पर्याप्त साक्ष्यों के सामने दोषसिद्धि के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को चुनौती देना त्याग दिया, इसलिए भा.दं.सं. की धारा 325/323 के अंतर्गत दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। दोषियों को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया तथा पीड़ितों को 20,000 रुपये का प्रतिकर देने का निर्देश दिया गया, जो अब न्यायालय में जमा करा दिया गया है। अपेक्षित राहत प्राप्त करने के लिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 को संबंधित प्राधिकारियों

के ध्यान में लाया जा सकता है और अनुपालन न होने की स्थिति में मृतक के विधिक उत्तराधिकारी विधि के अंतर्गत उपलब्ध विधिक उपायों का लाभ उठा सकते हैं। न्यायालय को इस बात की जानकारी नहीं है कि वर्तमान कार्यवाही या किसी अन्य कार्यवाही में अ-1 की गिरफ्तारी और दोषसिद्धि के बाद उसके विरुद्ध संबंधित विभाग द्वारा क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई (यदि कोई हो) शुरू की गई है। दिनांक 08.07.2003 के आदेश-पत्र में दर्ज है कि अ-1 गोलीबारी की घटना में वांछित था और यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त मामले में उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही हुई या उसका परिणाम क्या हुआ। इस न्यायालय के समक्ष तर्कपूर्ण सामग्री उपलब्ध न होने के कारण, अपीलार्थी द्वारा माँगा गया कोई भी निर्देश नहीं दिया जा सकता। *'सुशील कुमार सिंघल बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक',* (2010) 8 एससीसी 573 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

> *"9. इस मामले में एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम, 1958 के उपबंधों के अंतर्गत अपीलार्थी को दिया गया लाभ उसे सेवा में पुनः स्थापन का हकदार बनाता है।*
> *इसमें शामिल विवाद्यक अब अनिर्णीत विषय नहीं है।*
> *'ऐथा चंद्र राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य',* 1981 (*अनुपूरक) एससीसी* 17 *में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :*
>
> *चूँकि अपीलार्थी को परिवीक्षा पर रिहा किया गया है, इसलिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 को ध्यान में रखते हुए इससे उसके सेवा जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।*
>
> *10. ऐथा चंद्र राव (पूर्वोक्त) में दिए गए उक्त निर्णय को इस न्यायालय ने हरिचंद बनाम स्कूल शिक्षा निदेशक: (1998) 2 एससीसी 383 में अनुमोदित नहीं किया*

था, यह देखते हुए कि मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण, 1958 अधिनियम के उपबंधों का लाभ उन्हें दिया गया था और चूँकि उस मामले में "ऐसी विधि के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता, यदि कोई हो" शब्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई थी, इसलिए उक्त निर्णय को बाध्यकारी पूर्वनिर्णय नहीं माना जा सकता है। इस न्यायालय ने 1958 के अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों की व्याख्या की और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

हमारे विचार में, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 केवल उस अयोग्यता के संबंध में लागू होगी जो अपराध और उसके दंड के लिए विधि के अंतर्गत दोषसिद्धि के साथ आती है। इसमें "ऐसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि से संबद्ध अयोग्यता, यदि कोई हो" शब्दों का स्पष्ट अर्थ यही है। जहाँ किसी अपराध और उसके दंड के लिए विधि में अयोग्यता का भी प्रावधान है, वहाँ अपराध के लिए दोषसिद्ध किए गए किंतु परिवीक्षा पर रिहा किए गए व्यक्ति को धारा 12 के कारण अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ता है। यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि धारा 12 के कारण किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि को सरकारी सेवा से दोषी ठहराए गए व्यक्ति की बर्खास्तगी के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

(ज़ोर दिया गया)

XXX *XXX* *XXX*

14. 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रंजीत सिंह', एआईआर 1999 *एससी* 1201 *में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय, किसी आपराधिक मामले का निर्णय करते समय और उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम,* 1958 *या समान अधिनियम का लाभ देते हुए, यह निर्देश जारी करने में सक्षम नहीं है कि अभियुक्त को कोई सिविल परिणाम नहीं भुगतना होगा। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:*

हम यह भी समझने में असफल रहे कि उच्च न्यायालय किसी आपराधिक मामले पर निर्णय देते समय यह निर्देश कैसे दे सकता है कि अभियुक्त को बिना किसी व्यवधान के निरंतर सेवा में माना जाना चाहिए, और इसलिए उसे निलंबन

अवधि के दौरान पूर्ण वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। यह यह निर्देश और टिप्पणी पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है....

XXX XXX XXX

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे पर विधि को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि किसी अपराध में किसी कर्मचारी की दोषसिद्धि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने या केवल उसकी दोषसिद्धि के आधार पर उसकी बर्खास्तगी/हटाने के लिए उचित कदम उठाने की अनुमति प्रदान करती है। अधिनियम, 1958 की धारा 12 में निहित शब्द 'अयोग्यता' अन्य विधियों में प्रदत्त अयोग्यता को संदर्भित करता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामलों में स्पष्ट किया गया है, और कर्मचारी केवल इस आधार पर सेवा में बने रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता कि उसे अधिनियम, 1958 के अंतर्गत परिवीक्षा का लाभ दिया गया था।''

4. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अपीलार्थीगण द्वारा माँगी गई प्रार्थना को निर्णय में शामिल नहीं किया जा सकता। अपील खारिज की जाती है। निर्णय के अनुपालन में जमा की गई प्रतिकर राशि पीड़ितों को जारी की जाए। लंबित आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।

(एस.पी.गर्ग)
न्यायाधीश

25 नवंबर, 2013 / टीआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*